

फार्म संख्या :- अनुबन्ध ब (I)

शपथकर्ता /
आवेदक का
पासपोर्ट साईज
फोटो
(स्वप्रमाणित)

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 (2) व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1972 के नियम 10 (2) के अन्तर्गत एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2000 9(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला हलफनामा।)

हलफनामा (मृत्यु)

मैं पुत्र/पत्नी श्री जाति उम्र
..... वर्ष, निवासी जिला भरतपुर शपथपूर्वक यह घोषणा
करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी उम्र वर्ष पत्नी
/पुत्र/पुत्री श्री जो ग्राम जिला
भरतपुर के/की निवासी थे/थी, की दिनांक को मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु
का पंजीयन किसी अन्य स्थान पर नहीं कराया गया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया
गया है।

आवेदक का मृतक से संबंध

(शपथकर्ता)
हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

मैं पुत्र/पत्नी श्री
निवासी शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ
कि उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकार में सर्वथा सत्य है, मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। उपरोक्त शपथ
पत्र के बावत् भविष्य में कोई त्रुटि पायी जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदेही मुझ
शपथकर्ता की होगी।

दिनांक :-
स्थान :-

(शपथकर्ता)
हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

गवाह का शपथ पत्र

मैं पुत्र श्री जाति.....
निवासी.....तहसील जिला
राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. मैं शपथकर्ता (आवेदक) को भली प्रकार से जानता हूँ। इनके पुत्र/पुत्री/पिता/माता/भाई/बहिन/पत्नि श्री/श्रीमती/सुश्री का/की जन्म/मृत्यु दिनांक को (घटना स्थल का नाम)..... पर हुआ/हुई है।
2. यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र के बावत् भविष्य में कोई तथ्य गलत पाया जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदेही मुझ शपथकर्ता की होगी।

अतः शपथपत्र प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता
नाम—
मोबाइल नं.—

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही एवं दुरस्त है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह का शपथ पत्र

मैं पुत्र श्री जाति.....
निवासी.....तहसील जिला
राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

- 1 मैं शपथकर्ता (आवेदक) को भली प्रकार से जानता हूँ। इनके पुत्र/पुत्री/पिता/माता/भाई/बहिन/पत्नि श्री/श्रीमती/सुश्री का/की जन्म/मृत्यु दिनांक को (घटना स्थल का नाम)..... पर हुआ/हुई है।
- 2 यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र के बावत् भविष्य में कोई तथ्य गलत पाया जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदेही मुझ शपथकर्ता की होगी।

अतः शपथपत्र प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता
नाम—
मोबाइल नं.—

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही एवं दुरस्त है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

जन्म/मृत्यु के संबंध में आंगनबाडी केन्द्र की जांच रिपोर्ट

1- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि श्रीजाति.....निवासी
.....का जन्म/मृत्यु दिनांक को ग्राम.....
..... घर पर ही हुआ/हुई है। इसका इन्द्राज आंगनबाडी केन्द्र की पंजिका में पृष्ठ
संख्या..... के क्रम संख्या पर दर्ज है।

2- उक्त जन्म/मृत्यु की घटना हॉस्पिटल का नाम/अन्य स्थान पर
..... हुआ/हुई है।

यह प्रमाण पत्र आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने उपरान्त जारी किया गया। अतः इस जन्म/मृत्यु की घटना की अनुज्ञा पत्र जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर(मय सील)

हस्ताक्षर(मय सील)

आंगनबाडी कार्यकर्ता

ए. एन. एम.

नाम-

नाम-

मोबाइल नंबर-

मोबाइल नंबर-

जन्म/मृत्यु के संबंध में रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि श्री निवासी ग्राम.....
तहसील का जन्म/मृत्यु दिनांक को ग्राम.....
..... तहसील.....में हुआ/हुई है।

यह प्रमाण पत्र जांच करने उपरान्त जारी किया गया। अतः इस जन्म/मृत्यु की घटना की अनुज्ञा पत्र जारी करने की अभिशंका की जाती है।

हस्ताक्षर(मय सील)

ग्राम विकास अधिकारी
नाम—
मोबाइल नंबर—

प्रपत्र संख्या 10
(देखिये नियम 13)

अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

(जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी किया गया)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि श्री..... के अनुरोध पर (स्थानीय क्षेत्र) ग्राम पंचायत
..... तहसील जिला राजस्थान के वर्ष
..... से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की तलाशी की गयी और यह पाया गया कि श्री
..... पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि श्री के जन्म/मृत्यु
की घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

नाम:—
पदनाम:—
मोबाइल नं.—

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(2) के अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 की धारा 10 (2) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2000 9(2) के तहत दिया जाने वाला अनुज्ञा पत्र)

अनुज्ञा-पत्र

श्री श्रीमती श्री उम्र वर्ष जो कि तहसील
जिला की निवासी हैं ने आवेदन किया है तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री
..... उम्र वर्ष जो कि ,तहसील जिला.....
..... की निवासी थी जिनकी मृत्यु दिनांक को हो चुकी है का पंजीकरण किया
जाये। प्रार्थना पत्र में घोषित मृत्यु दिनांक एक वर्ष से कम होने के कारण जन्म और
मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 की धारा 13(2) के अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 की धारा 10 (2) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन)
नियम 2000 9(2) तहत पंजीयन उनके क्षेत्र के लिए निर्धारित रजिस्ट्रार द्वारा विलम्ब शुल्क रुपये
50/- (रूपये पचास मात्र) लेकर किया जावे।

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को
आदेशित किया जाता है कि उक्त घटना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीकरण
किया जाना सुनिश्चित करें।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम संख्या 10(2) के अन्तर्गत मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक
19.02.2025 को जारी किया गया।

ब्लॉक नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु)
एवं
ब्लॉक सॉखिकी अधिकारी
.....

क्रमांक:-रजि0सं0 / 2025 /

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
को पालनार्थ।

ब्लॉक नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु)
एवं
ब्लॉक सॉखिकी अधिकारी
.....